

1.	विभाग	दिव्यांगजन सशक्तिकरण
2.	योजना का नाम –	दिव्यांग व्यक्तियों से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरुस्कार योजना
3.	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	दम्पति में युवक के दिव्यांग होने पर 15000/- तथा युवती के दिव्यांग होने पर 20000/- तथा दोनों के दिव्यांग होने पर 35000/- की अनुदान राशि प्रोत्साहन पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है।
4.	पात्रता की अर्हता–	ऐसे दम्पति जिसमें युवती आयु 18 से 45 वर्ष और युवक की आयु 21 से 45 वर्ष के मध्य हो तथा आयकर दाता न हो।
5.	आवेदन की प्रक्रिया–	आवेदन जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय में वांछित अभिलेखों सहित
6.	लिंक वेबसाईट	http://sspy-up.gov.in/
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अथवा उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण , मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है ।